



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112020-223125
CG-DL-E-18112020-223125

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591]
No. 591]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 13, 2020/कार्तिक 22, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 13, 2020/KARTIKA 22, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 722(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में तंत्रिका मनोविज्ञान के सहायक आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में तंत्रिका मनोविज्ञान के सहायक आचार्य (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तंत्रिका मनोविज्ञान के सहायक आचार्य	1* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रुपये)	लागू नहीं होता ।	पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी ।	आवश्यक: (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में एम.फिल या डिप्लोमा(दो वर्षीय पाठ्यक्रम)। (3) किसी मनोरोग अस्पताल, मनोरोग क्लिनिक, चाइल्ड गाइडेन्स क्लिनिक या किसी सामान्य अस्पताल के मनोरोग प्रभाग में तंत्रिका मनोवैज्ञानिक के रूप में दो वर्ष के शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव। वांछनीय: 1.नैदानिक मनोविज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान में डॉक्टरेट (पीएच.डी) की डिग्री; 2. वैयक्तिक और सामूहिक साइकोथेरेपी और परामर्श तकनीक में अनुभव ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण: पदधारी के एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा जो: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं। टिप्पण (i): प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण (ii): प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. उप महानिदेशक (एम), -अध्यक्ष; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची - सदस्य; 3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/ निदेशक (मानसिक स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. स. ए. 12018/71/2017-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2020

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Assistant Professor of Neuro Psychology** in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:—

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, **Assistant Professor of Neuro Psychology** (Group 'A' post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.-** No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Professor of Neuro Psychology.	1* (2020) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100 – 177500/-).	Not applicable.	Not exceeding 35 Years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential: 1. Master Degree in Psychology or Clinical Psychology from a recognised University or Institute. 2. M. Phil or Diploma in Clinical Psychology (two years course) from a recognised University or Institute. 3. Two years teaching and research experience as Neuro Psychologist in a Psychiatric Hospital, Psychiatric Clinic, Child Guidance Clinic or Department of Psychiatry in a General Hospital. Desirable: 1. Doctorate Degree (Ph. D) in Clinical Psychology or Anthropology or Social Psychology or Sociology; 2. Experience in individual and Group Psychotherapy and Counselling Techniques.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	One year.	By direct recruitment. Note: vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre or department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note (i): Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note (ii): The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.	Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Deputy Director General (M), Directorate General of Health Services – Chairman; 2. Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi –Member; 3. Director (Medical Education), Directorate General of Health Services/ Director (Mental Health), Ministry of Health and Family Welfare - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.12018/71/2017-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Adviser